वन अधिकार अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिशा-निर्देश

संदर्भ

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा वन अधिकार से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है जिसमें वन अधिकार अधिनियम 2006, के अंतर्गत जिन लोगों का वनीय भूमि पर मालीकाना हक सिद्ध नहीं हो पाया है, उन लोगों को ऐसे वन क्षेत्रों से बेदखल किया जायेगा।

2006 वन अधिकार अधिनियम

- 2006 वन अधिकार अधिनियम में अनुसूचित जनजाति व वनों में रहने वाले आदिवासी परिवारों की विषम जीवन स्थिति की दुर करने के लिए प्रावधान किया गया।
- इस कानून को अनुसूचित जाितयों एवं अन्य पारंपिरक वन निवािसयों को उनका अधिकार दिलाने के लिए जो पीडि़यों से जंगलों में रह रहे है, लेिकन जिन्हें वन अधिकारों तथा वन भूमि में आजीिवका से वंचित रखा गया गया है, लागू किया गया।
- इस अधिनियम में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आदिवासी लोगों के लाभ के लिए कई योजनाएं भी क्रियान्वित
 की गई है। इनमें वन क्षेत्रों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के जिरए लघु वन उपज के विपणन के लिए तंत्र तथा
 एमएफपी के लिए वैल्यू चेन के विकास जैसी योजनाएं शामिल हैं।
- धारा 3(1) व धारा 4 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपिरक वन क्षेत्र निवासियों को अधिनियम 2006
 के अंतर्गत वन्य गांव, पुराने आबादी वाले क्षेत्रों, बिना सर्वेक्षण वाले गांव तथा वन क्षेत्र के अन्य गांव, चाहें वे अधिसूचित हो या न हो।
- अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वन्य गावों को पिरवर्तित करने के वन अधिकार ग्राम सभा, उपमंडल स्तरीय सिमिति और जिला स्तरीय सिमिति के क्षेत्राधिकार में आते है।
- उक्त अधिनियम के अंतर्गत नियम-2008 जारी किये गये जो राजपत्र 2008 में प्रकाशित हुए।
- तदुपरान्त विभिन्न राज्यों एवं स्वयंसेवी संगठनों के सुझाव प्राप्त होने पर इस अधिनियम के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दूर करने एवं प्रभावी तथा व्यापक ढंग से लागू करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उक्त नियमों में कुछ संशोधन करते हुए संशोधन नियम-2012 जारी किये गये।

अधिनियम के अंतर्गत अधिकार हेतु पात्रता

अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति-

- 13 दिसम्बर 2005 से पूर्व वन भूमि का अधिभोग।
- आजीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वन पद निर्भरता या निवासरत।

अन्य परम्परागत वनवासी-

 ऐसा कोई सदस्य या समुदाय अभिप्रेत है, जो 13 दिसंबर, रूप से वन या वनभूमि में निवास करता रहता है और जो जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर है। 'पीढी से अभिप्राय 25 वर्ष की अविध है।

सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय और प्रभाव

- वन-अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत 44 लाख दावेदारों में से 23 लाख का ही भूमि अधिकारिता सिद्ध हो पाई है। लेकिन 20 लाख से अधिक आवेदक जो ग्राम सभाओं और अपीलीय अधिकारियों के माध्यम से अपना दावा स्थापित नहीं कर सकें। उन्हें 12 जुलाई तक वन भूमि से बाहर निकालने का आदेश दिया गया है।
- निष्कासन प्रक्रिया से पहले सरकार द्वारा आवश्यक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए कि इस अधिनियम में क्या प्रक्रियागत खामियां थी जिससे इतनी बढ़ी संख्या में आवेदक अपील करने तथा अपना अधिकार सिद्ध करने में विफल रहें।
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा एकत्र आंकड़ों के अनुसार 30 नवंबर, 2018 तक देश भर में 19.39 लाख दावों
 को खारिज कर दिया गया था। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करीब 20 लाख आदिवासी और वनवासियों
 को जंगल की जमीन से बेदखल किया जा सकता है।
- वनवासियों के समूह का एक राष्ट्रीय मंच 'कैंपेन फॉर सर्वाइवल एंड डिग्निटी' के सिचव के अनुसार, यह आदेश उन राज्यों के लिए लागू होता है जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्देशित किया गया है। हालांकि आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ेगी।
- आदेश को वन विभाग द्वारा आदिवासियों और वनवासियों को जमीन से बेदखल करने के लिए दुरुपयोग भी किया जा सकता है।
- अदालत का यह आदेश एक वन्यजीव समूह द्वारा दायर की गई याचिका के संबंध में आया है जिसमें उसने वन अधिकार अधिनियम की वैधता पर सवाल उठा था।
- याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि वे सभी जिनके पारंपिरक वनभूमि पर दावे कानून के तहत खारिज हो जाते हैं, उन्हें राज्य सरकारों द्वारा निष्कासित कर दिया जाना चाहिए।
- याचिकाकर्ता बेंगलुरु स्थित वाइल्डलाइफ फर्स्ट जैसे कुछ गैर-सरकारी संगठनों का मानना है कि यह कानून संविधान के खिलाफ है और इसकी वजह से जंगलों की कटाई में तेजी आ रही है। उनका कहना है कि अगर यह कानून बचा भी रह जाता है तब भी दावों के खारिज होने के कारण राज्य सरकारें अपने आप जनजाति परिवारों को बाहर कर देंगी।
- वन अधिकार कानून के बचाव के लिए केंद्र सरकार ने जिस्टिस अरुण मिश्रा, जिस्टिस नवीन सिन्हा और जिस्टिस इंदिरा की पीठ के समक्ष 13 फरवरी को अपने वकीलों को ही नहीं भेजा। इसी वजह से पीठ ने राज्यों को आदेश दे दिया कि वे 27 जुलाई तक उन सभी आदिवासियों को बेदखल कर दें जिनके दावे खारिज हो गए हैं। इसके साथ ही पीठ ने इसकी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करने को भी कहा। यह लिखित आदेश 20 जनवरी को जारी हुआ है।
- आदिवासी मामलों के मंत्री को इस महीने की शुरुआत में भेजे गए एक पत्र में, विपक्षी दलों और भूमि अधिकार कार्यकर्ताओं के समूहों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार ने कानून का बचाव नहीं किया है।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

 पंचायत अधिनियम जो पेसा के नाम से जाना जाता है, संसद का एक कानून है न कि पांचवी एवं छठवीं अनुसूची जैसा संवैधानिक प्रावधान।

- 2. पेसा अधिनियम ने स्थानीय स्तर पर जनजातिय समुदायों के पक्ष में स्वशासन की व्यवस्था की है।
- 3. 73वें संविधान संसोधन में ग्राम सभा को पंचायत के स्तर से उपर का स्थान दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?
- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) उपर्युक्त सभी

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

प्रशन- पेसा (PESA) अधिनियम, 1996 समुदाय की प्रथागत, धार्मिक एवं परंपरागत रीतियों के संरक्षण पर असाधारण जोर देता है। पेसा कानून की व्याख्या करते हुए भारतीय संविधान कि पाचवीं और छठी अनुसूची के प्रावधानों के संदर्भ में वन अधिकार अधिनियम पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए निर्णय की चर्चा कीजिए।